राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 2004 / 894 / नागौर

1– रामकरण पुत्र गिरधारीराम
2– उगमाराम पुत्र गिरधारीराम
समस्त जाति जाट बडियासर निवासी ग्राम लाडपुरा
हाल केलसरिया तहसील एवं जिला अजमेर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– जवरीलाल) पिसरान हेमाराम जाति
2– छीतरराम) जाट बडियासर निवासी
3– घीसाराम) ग्राम लाडपुरा तहसील
4– गोपीराम) डेगाना जिला
5– नैनाराम) नागौर।

6– भैरूराम पुत्र बालूराम
7– मोडाराम पुत्र उगमाराम
8– मांगुराम पुत्र सुखाराम
9– उदाराम पुत्र सुखाराम
10– सगराम पुत्र शिवनाथ
11– पुनाराम पुत्र शिवनाथ
12– अंकाराम पुत्र किशनाराम
13– गणपतराम पुत्र किशनाराम नाबालिग जरिये
वली माता सन्तोष
14– ओमाराम पुत्र किशनाराम
15– संतोष बेवा किशनाराम

16– मुकेश) पुत्रान गोकलराम नाबालिगान जरिये कुदरती
17– सेठी) वली माता मु. साबडी बेवा गोकलराम।

18– साबडी बेवा गोकलराम
19– छोगाराम पुत्र खींयाराम (नाम तर्क)
20– शंकरराम पुत्र देवाराम
21– कानाराम पुत्र देवाराम
समस्त जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील
डेगाना जिला नागौर।
22– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
डेगाना जिला नागौर।

.....प्रत्यर्थीगण

अपील डिक्री / टीए / 2004 / 894 / नागौर

रामकरण बनाम जवरीलाल

खण्ड पीठ
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य
श्री डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित :–
श्री पवन सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री दुनीचन्द, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक : 27 फरवरी, 2023

1– यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर (कैम्प मेड़ता) के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर) डेगाना के न्यायालय में अपीलान्ट व अन्य रेस्पो. के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 वादी ने वाद में सजरा खानदान बताया। पक्षकारान एक ही खानदान के सदस्य है, वाद में यह अंकित किया कि ग्राम लाडपुरा की सरहद में खसरा नम्बर–115 रकबा 47 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर–141/1 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा का एक ही चक आया हुआ है। यह जर्मीन पैतृक भूमि होना बताया। इस जर्मीन में सजरा खानदान में दर्शित 1/3 हिस्सा स्व. लाखाराम के वारिसान का, 1/3 हिस्सा स्व. खीयाराम के वारिसान का व 1/3 हिस्सा स्व. सुजाराम के वारिसान का होना बताया और आपस में बंटवारा हो गया और आपसी बंटवारा के आधार पर अलग अलग काश्त व काबिज है। अपीलान्ट ने दिनांक 31–3–2000 को जवाब दावा पेश किया और रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 वादी द्वारा वाद में

बताये गये तथ्यों को खण्डन किया। अपने जवाब में सही रूप से उनके पिता का कब्जा काश्त होने व सही पट्टा जारी करना बताया। शेष रेस्पो. ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया। वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर जांच न्यायालय ने 12 तनकीयात कायम की। बहस के पश्चात उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर) डेगाना ने दावा रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 वादीगण के पक्ष में डिक्री करते हुये अपीलान्टस/प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का नाम खातेदारी से हटाने का आदेश दिनांक 31–12–2002 को पारित किया। जिसके विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2003 के द्वारा अपील खारिज कर दी और उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर) डेगाना का निर्णय यथावत कायम रखा। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2003 विधि विरूद्ध एवं विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 वादीगण ने जो दस्तावेज खतौनी एवं नक्शे पेश किये हैं वह अपीलान्ट संख्या–1 व 2 के नाम की है जो एक रिकार्ड ऑफ राईट है उसे नहीं मानने में भारी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पो. संख्या–1 ता 5 वादीगण ने कोई गिरदावरी पेश नहीं की है जिससे साबित है कि उन्होंने कोई काश्त की फिर भी गलत निर्णय पारित कर दिया। इससे अपीलीय न्यायालय ने इस तनकी को तनकी संख्या–6 की पूरक ही मानी है, कोई विवेचन नहीं किया। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने

योग्य है। अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गिरदावरी बाबत कब्जा, जुबानी शहादत एवएं राजस्व रिकार्ड से यह साबित कर दिया कि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलान्ट का है उसे नहीं मानने में जांच न्यायालय ने भारी भूल की है और अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दू पर भी विवेचन नहीं करके यह अंकित किया है कि तनकी नम्बर–1 से 8 में निर्धारण किया जा चुका है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में यह माना है कि अपीलान्ट के पिता गिरधारीराम ने उक्त विवादित रकबा रेस्पो. संख्या–1 ता 5 वादीगण को सुपुर्द कर अपने ससुराल चला गया। दूसरी तरफ यह निर्णय पारित करते हैं कि रेस्पो. संख्या–1 ता 5 वादीगण एडवर्स पजेशन कब्जे के आधार पर खातेदार है जो विरोधाभाषी है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर) डेगाना का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2003 निरस्त किया जाकर दावा रेस्पो. संख्या–1 ता 5 वादीगण खारिज किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि संवत 1990 के कुछ समय पहले अपीलार्थी व रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 के दादा का स्वर्गवास हो जाने के बाद अपीलार्थी के स्वर्गीय पिता ने सूजाराम की जगह अपने अकले के नाम पटटा व खातेदारी दर्ज करवा ली। रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 के पिता उस समय नाबालिग थे। अपीलार्थी के स्वर्गीय पिता गिरधारीराम ने अपना हिस्सा प्राप्त कर संवत 1990 में ही ग्राम कालेसरा जाकर बस गये। ग्राम लाडपुरा की समस्त आराजी मकान, बाडे आदि रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 के स्वर्गीय पिता हेमाराम के हिस्से में रखे अपीलार्थी ने ग्राम कालेसरा जाकर वहां पक्का मकान बनवा लिया और

करीब 100 बीघा जमींन खरीद कर ली, तब से स्व. गिरधारीराम व अपीलार्थी कालेसरा के ही निवासी हो गये। ग्राम लाडपुरा में विवादित खसरा नम्बर–115 व 141/1 के 1/3 हिस्से में पूरी वादग्रस्त भूमि रेस्पो. संख्या–1 लगायत 5 के स्वर्गीय पिता को बट में दे दी। संवत 1990 से उक्त भूमि के किसी भी भू भाग पर अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता गिरधारीराम व अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त व अधिकार नहीं रहा। इस प्रकार अपीलार्थी अथवा उसके स्वर्गीय पिता का वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार नहीं होने से विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का नाम खातेदारी से विलोपित करने का जो आदेश पारित किया है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक रूप से पुष्टि की है इसलिये अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद तथा प्रतिवादीगण संख्या–3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाबदावे एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 12 तनकीयात कायम की है। जहां तक सजरा खानदान का प्रश्न है इस बाबत दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। तनकी संख्या–2 के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा गवाह पेश किये गये है जिनके बयानों से स्पष्ट होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के दादा सूजाराम का देहान्त संवत 1990 के आस–पास हुआ। उस समय वादीगण के पिता हेमाराम के नाबालिग होने एवं गिरधारीराम की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष होने की पुष्टि होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाहों द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि सूजाराम की दो पत्नियां थी। जिसमें पहली पत्नी से

गिरधारीराम तथा पहली पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात दूसरी पत्नी से हेमाराम पैदा हुये। जहां तक वादग्रस्त आराजी के पैतृक होने का प्रश्न है मारवाड स्टेट की ग्राम लाडपुरा की नकल जमाबंदी संवत् 1881 में खसरा नंबर 115 रकबा 47 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 141/1 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा कुल 69 बीघा 12 बिस्वा लाखा, सूजा, खीया बेटा रूपा के नाम दर्ज है। ग्राम लाडपुरा की जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में वादग्रस्त खसरा नंबर लाखा, खींया पुत्रगण रूपा हिस्सा 2/3 गिरधारी पुत्र सूजा 1/3 दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि रही है एवं कालान्तर में सूजाराम की मृत्यु होने के पश्चात कर्ता खानदान होने के नाते बड़े पुत्र गिरधारीराम की खातेदारी में दर्ज हो गयी। गिरधारीराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी।

8– वाद पत्र में अंकित कथन के अनुसार सूजा की मृत्यु संवत् 1890 में हो गयी जिसकी पुष्टि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को छोड़कर अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा से होती है।

9– वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को छोड़कर अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि सूजाराम की मृत्यु के पश्चात् पक्षकारान के पिता के मध्य आपसी सहमति से चल एवं अचल संपत्ति का बंटवारा हुआ जिसमें गिरधारीराम द्वारा चल सम्पत्ति के रूप में नकद रूपये, गहने आदि लेकर अपने ससुराल गांव कालेसरिया में जाकर रहने लग गया। ग्राम कालेसरिया में कृषि भूमि खरीद कर मकान आदि बनाकर रह रहे हैं। हेमाराम के हिस्से में ग्राम लाडपुरा की वादग्रस्त आराजी रखने की पुष्टि होती है। पारिवारिक बंटवारे के पश्चात प्रतिवादी संख्या–1 व 2 एवं उनके पिता गिरधारीराम का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हकूक नहीं रहने से कभी भी कब्जा भी

नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–63 के तहत वादग्रस्त आराजी पर गिरधारीराम का कब्जा नहीं होने से उसके खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रतिवादी उमाराम का जन्म भी ग्राम कालेसरिया में ही होना बताया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पक्षकारान के मध्य बंटवारा होकर ग्राम लाडपुरा की भूमि हेमाराम के हिस्से में होने की पुष्टि होती है।

10– यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब में वाद पत्र के कथनों की पुष्टि की गयी है। उक्त सभी सहखातेदार एक ही परिवार के होकर रूपाराम के वंशज है। परिवार के सदस्यों द्वारा वादीगण के कथनों की पुष्टि करने पर सम्पूर्ण तथ्यों को सही नहीं मानने का कोई कारण नहीं रह जाता है।

11– पक्षकारों द्वारा जो बंटवारा चाहा गया है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को छोड़कर अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे एवं मौखिक साक्ष्य में मौके पर पूर्व से बंटवारा अनुसार खींया, लाखा एवं सूजा पुत्र रूपा के वारिसान अपने अपने हिस्से में काबिज है। वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि एक ही चक में होना अंकित कर उसमें वादी/प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि की दिशाओं का अंकन किया हुआ है। पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के कब्जे अनुसार विभाजन को लेकर कोई विवाद नहीं है इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के बजाय सीधा ही अंतिम डिक्री पारित की गयी है।

12– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का नाम खातेदारी से

विलोपित करने का जो निर्णय पारित किया है वह तथ्यों के अनुकूल एवं विधिसम्मत है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

13– परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर (कैम्प मेड़ता) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा) (भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य सदस्य